

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावा जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी – मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

मु0न0 74/2022 उनवान सरला देवी बनाम रमेश कुमार वगै0

सरला देवी वादी

बनाम

रमेश कुमार वगैरह (प्रतिवादी)

दावा बाबत विभाजन

--: निर्णय :-

दिनांक : 17.04.2024

न्यायालय हाजा द्वारा 74/2024 उनवान सरला देवी बनाम रमेश कुमार वगै0में वाद वादी दिनांक 06.02.2025 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार मण्डावा को मोका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार मण्डावा द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पालना रिपोर्ट पत्रांक भूअ./2024/451 दिनांक 25.03.2024 प्रस्तुत करने पर वहस विभाजन प्रस्ताव पर वकील उभय पक्ष सुनी गई। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा सहमति जाहिर की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम वाहिदपुरा के भूमि ख.न. 987/435 रकबा 1.06 हैक्टर, खाता संख्या 341 तथा ख.न. 429 रकबा 0.01 हैक्टर, 430 रकबा 0.07 हैक्टर, ख.न. 431 रकबा 0.27 हैक्टर, ख.न. 432 रकबा 0.08 हैक्टर, ख.न. 435 रकबा 0.52 हैक्टर, ख.न.436 रकबा 0.12 हैक्टर, का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	रमेश कुमार रेवाड जाति जाट नि. सदीनसर हिस्सा 310, लम्मीकान्त पुत्र राधेश्याम हिस्सा 3/10 जाति कुमावत निवासी रामगढ, संजीव कुमार शर्मा पुत्र मोहनलालहिस्सा 2/5 जाति ब्रहामण सा. देह	ग्राम हमीरवास		
		987/435मी.	0.48	बारानी
		435 मी.	0.33	-2
		431 मी.	0.17	
		432	0.08	
	योग	किता 04	1.06	-
2	सरला देवी पत्नी ताराचन्द जाति ब्रहामण सा. देह	987/435मी0	0.58	बारानी
		435 मी0	0.19	-1
		430	0.07	
		436	0.12	गै.मु.रा.
		429	0.01	
	योग	06	1.07	

तहसीलदार बिसाऊ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

627
(मुनेश कुमारी)

उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

मण्डावा

आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बर्डजलास मण्डावा जिला झुंझुनूं (राज0)

पितासीन अधिकारी:-मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)


दावा वाबत खाता विभाजन
प्राथमिक वाद डिक्री संशोधित

मुकदमा नम्बर :-74 /24 (सरलादेवी बनाम रमेश कुमार आदि)

यह मुकदमा आज वारते इफिसला कतई रुवरु,मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिव मुद्दर्ई रुवरु वकील प्रतिवादीगण मनजानिव मुद्दालय पेश होकर हुवम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

न्यायालय के निर्णय दिनांक 06.02.2025 के अनुसार वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि वाके ग्राम वाहिदपुरा पटवार हल्का वाहिदपुरा तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं की सरहद में अवस्थित भूमि के खाता संख्या 243 ख.न. 987 /435 रकबा 1 06हेक्टर एवं खाता संख्या 341 ख.न. 429 रकबा 0.01 हैक्टर,ख.न. 430 रकबा 0.07 हैक्टर, ख.न. 431 रकबा 0.27 हैक्टर, ख.न. 432 रकबा 0.08 हैक्टर, ख.न. 435 रकबा 0.52 हैक्टर, ख.न. 436 रकबा 0.12 हैक्टर भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी गण के वर्तमान मौके एवं कब्जा काश्त एवं आम सहमती से के अनुसार दर्ज रिकार्ड अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य खाता विभाजन करने आदेश दिया जाता है तदनुसार तहसीलदार मण्डावा को 2000 /- रुपये फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18 लगायत 21 के अनुसार पक्षकारान की मौजूदगी में वादग्रस्त भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण मध्य सुविधानुसार खातेदारान का पृथक-पृथक रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से एवं मौके पर कब्जेकाश्त के अनुसार रास्ते का युक्तियुक्त प्रावधान रखते हुये विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। मौका फीस वादी द्वारा अदा की जावेगी। तहसीलदार मण्डावा को तहरीर जारी हो।

बसक्षत मेरे दरस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 06.02.2025 को जारी की गई।


मुनेश कुमारी (R.A.S.)

उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

मण्डावा

आदेश 20 के नियम 6 व 7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम बईजलास मण्डावा जिला झुंझुनू (राज0)

पिठारसीन अधिकारी:- मुनेश कुमारी
(आर.ए.एस.)

दावा विभाजन वावत वंटवारा
अन्तिम वाद डिक्री


मुकदमा नम्बर :- 74/2024 उनवान सरलादेवी बनाम रमेश कुमार वगै0

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूवरू, मुनेश कुमारी(आर.ए.एस.), उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा बहाजिरी वकील वादीगण मिनजानिव मुददई रूवरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिव मुददालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.04.2025 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम वाहिदपुरा के भूमि ख.न. 987/435 रकबा 1.06 हैक्टर, खाता संख्या 341 तथा ख.न. 429 रकबा 0.01 हैक्टर, 430 रकबा 0.07 हैक्टर, ख.न. 431 रकबा 0.27 हैक्टर, ख.न. 432 रकबा 0.08 हैक्टर, ख.न. 435 रकबा 0.52 हैक्टर, ख.न.436 रकबा 0.12 हैक्टर, का निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं:-

क्र.सं.	नाम घोषित खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टर में)	भूमि किस्म
1	रमेश कुमार रेवाड जाति जाट नि. सदीनसर हिस्सा 310, लम्मीकान्त पुत्र राधेश्याम हिस्सा 3/10 जाति कुमावत निवासी रामगढ, संजीव कुमार शर्मा पुत्र मोहनलालहिस्सा 2/5 जाति ब्रहामण सा. देह	ग्राम हमीरवास		
		987/435मी.	0.48	बारानी
		435 मी.	0.33	-2
		431 मी.	0.17	
		432	0.08	
	योग	किता 04	1.06	-
2	सरला देवी पत्नी ताराचन्द जाति ब्रहामण सा. देह	987/435मी0	0.58	बारानी
		435 मी0	0.19	-1
		430	0.07	
		436	0.12	गै.मु.रा.
		429	0.01	
		431	0.10	
	योग	06	1.07	

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 17.04.2025 को जारी की गई।


मुनेश कुमारी (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा
मण्डावा